समाहरणालय, दरभंगा

(कोषागार प्रशाखा)

पत्रांक 89 / कोषा०

प्रेषक,

जिला पदाधिकारी
दरभंगा ।

सेवा में,

सभी नियंत्री पदाधिकारी,
सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, दरभंगा ।

लहेरियासराय, दिनांक 17/2/17

विषयः **वित्तीय वर्ष 2016–17 की समाप्ति पर कोषागार में विपत्रों/चेकों के प्रस्तुतीकरण की व्यवस्था के संबंध में ।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में कोषागार में प्रस्तुत किए जाने वाले विपत्रों एवं चेको की संख्या में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण संबंधित विपत्रों की समुचित जॉच करने में कठिनाई होने के साथ–साथ जल्दबाजी में उन्हें पारित करने में गलत निकासी होने की संभावना बनी रहती है ।

वर्णित स्थिति में वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में विपत्रों एवं चेको की असामान्य एवं अनावश्यक भीड़ न हो, इसे ध्यान में रखते हुए सभी संबंधित को निदेश दिया जाता है कि वे निम्न कार्यक्रम के अनुसार प्राप्त आवंटन के विरूद्ध निकासी योग्य राशि का विपत्र यथा वेतन, बकाया वेतन, यात्रा भत्ता, कार्यालय व्यय, (विद्युत, टेलीफोन, वर्दी, किराया, वाहन एवं ईंधन) आदि से संबंधित विपत्रो/चेक (केवल चालू माह का वेतन विपत्र को छोड़कर) कोषागार में अनिवार्यतः प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें ।

| क्र० | प्राप्त आवंटन की अवधि | कोषागार में विपत्र प्रस्तु करने हेतु निर्धारित अवधि |
|---|---|---|
| 1 | दिनांक 10.02.2017 तक प्राप्त आवंटन से संबंधित विपत्र । | दिनांक 28.02.2017 तक |
| 2 | दिनांक 11.02.2017 से दिनांक 28.02.2017 तक प्राप्त आवंटन से संबंधित विपत्र । | दिनांक 11.03.2017 तक |
| 3 | दिनांक 01.03.2017 से दिनांक 11.03.2017 तक प्राप्त आवंटन से संबंधित विपत्र । | दिनांक 18.03.2017 तक |
| 4 | दिनांक 12.03.2017 से दिनांक 20.03.2017 तक प्राप्त आवंटन से संबंधित विपत्र तथा बिना आवंटन से संबंधित विपत्र/चेक । | दिनांक 25.03.2017 तक |
| 5 | दिनांक 21.03.2017 से दिनांक 25.03.2017 तक तथा इसके बाद से प्राप्त आवंटन संबंधित विपत्र । | दिनांक 28.03.2017 को अथवा उसके बाद के कार्य दिवस में ही स्वीकार किये जायेगें । |

उपरोक्त व्यवस्था के अन्तर्गत कोषागार द्वारा ऐसे प्राप्त सभी विपत्रो/चेको आदि को आवश्यक जॉचोपरान्त ससमय पारित करना संभव हो सकेगा । उपर्युक्त निर्धारित तिथि एवं समय सीमा के बाद कोई

भी विपत्र/चेक आदि कोषागार द्वारा अधोहस्ताक्षरी की अनुमति के बिना स्वीकार नहीं किए जायेगे । दिनांक 28.03.2017 या उसके बाद प्राप्त आवंटन से संबंधित विपत्र यथाशीघ्र प्रस्तुत करने की जवाबदेही संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी ।

ज्ञातव्य हो कि वित्त विभाग, बिहार, पटना द्वारा वित्तीय अनुशासन के मददेनजर वित्तीय वर्ष के अन्त में कोषागार से निकासी पर कतिपय रोक संबंधी आदेश निर्गत किये जाते है । इस प्रकार रोक के कारण कई बार प्राप्त आवंटन की निकासी नहीं हो पाती है , जिससे जिले के कई योजना के कार्यान्वयन में प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है । अगर प्राप्त आवंटन अनावश्यक रूप से एवं बिना प्रर्याप्त कारण के व्ययगत (Lapse) होता है, तो उसे बेहद गंभीरता से लिया जायेगा ।

यहाँ यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है, कि कोषागार से निकासी को नियंत्रित करने हेतु यदि कोई आदेश वित्त विभाग, बिहार, पटना द्वारा निर्गत होता है तो वह आदेश स्वतः लागू हो जायेगा एवं उसमें निहित निदेश के आलोक मं कोषागार से विपत्रो/चेको की निकासी की जायेगी ।

आवंटनादेश एवं विपत्रादि के प्रस्तुतीकरण की इस व्यवस्था का ससमय पालन नहीं किए जाने पर आवंटित राशि के व्ययगत होने की सारी जाबावदेही संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी । इसके लिए वरीय कोषागार पदाधिकारी अथवा जिला प्रशासन उत्तरदायी नहीं होगा ।

**कृप्या इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें ।**

विश्वासभाजन

जिला कोषागार पदाधिकारी
दरभंगा ।